

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायगु

मुकाम.....

बनाम श्री राध राम कौरा

बनाम

श्री राध राम कौरा

किसम मुकदमा.....

राजस्व डाकू

नं.....

12 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुम्हार सिंह चौधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RCR</u> राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>4/2/19</u> को पेश हो।</p>	<p>12 10/1/2019</p>
04/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रजापतिगणों के नोटिस तामिल खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली भीमा जमा। प्रजापतिगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। सभागत पीठासीन अधिकारी द्वारा कामों में व्यस्त होने के कारण इतिहास द्वारा प्रजापति दिनांक 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रजापतिगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवान्त लगाई गई प्रतिलिपि आवाज 5.45 PM पर लगाई गई प्रजापतिगण स्वयं या उनकी ओर के कोई अधिकार उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा, उनसे विरोध एकतरफा शर्तवादी समल में आई जाती है प्रार्थी के अधिकारों की एकतरफा बहाल हुनी</p>	

गर्भ प्राप्ति के अधिकतम ने लक्षण ही प्राप्ति के
अपने स्वादेशी खेलों के चारों छोर परने नेयम
स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्राप्ति का
नेयमवली कावेडन स्वीकार हीमा जात्र नेयमवली
कावेडन हीमा जावे। अतः प्राप्ति के अधिकतम के
निवेडन पर प्राप्ति का कावेडन स्वीकार हीमा जात्र
नदमीलडाए वायु को उभाराने नियुक्त हीमा जात्र
हे व कावेडन डिमा जात्र हे कि आप स्वयं या
अपने कश्चिनअ हीमा भी मू अधिकतम निरिअउ
से प्राप्ति के स्वादेशी खेलों ही परने नेयमवली
माउ पर कुलु जमाउडाउ के पालना रिपार प्राप्त
होने पर कामिल पआवली ही पआवली कामिल
कुमार ही, इज नएवर से उम ही कामिल इएतर ही।
10.4.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/127

दिनांक- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भूराराम पुत्र मोडाराम वगैरा 3
जाति जाट निवासी खवालीया नाडा,
बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. जीयाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट वगैरा 9
निवासी खवालीया नाडा, बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 12/.....19

आदेश

मौजा खवालीया नाडा पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा संख्या 233 रकबा 63-06 बीघा मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 422/292 रकबा 02-02 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक- 10/4/19



128-132

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बोड़वा व सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री भूराराम पुत्र मोडाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण जीयाराम पुत्र श्री खेमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

बायतु